

R. Kumar
6/9

पत्रांक-04/HFA-10/2016

55

/न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक-07/08/18

विषय:- सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु Geo Tagging Activities के लिए विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹8,00,700.00 (आठ लाख सात सौ ₹0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक-N-11011/40/2017-HFA-I/FTS-9028230 दिनांक-01.08.2018 द्वारा राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु Geo Tagging Activities के लिए विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹8,00,700.00 (आठ लाख सात सौ ₹0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि ₹8,00,700.00 (आठ लाख सात सौ ₹0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार संबंधित नगर निकायों को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक- 28.06.16 एवं पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. स्वीकृत राशि ₹8,00,700.00 (आठ लाख सात सौ रू० मात्र) माँग/विनियोग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0203- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी०एफ०एम०एस० कोड-1989, विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-0203.31.05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-48-2217030510203 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि 26194.187 लाख रू० में से विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग के पत्रांक-378 दिनांक-16.01.2018 के आलोक में सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ०-101/टि० पर दिनांक-...05.09.2018 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०-101/टि० पर दिनांक-...04.09.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
05.09.18

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक-07/09/18

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

55

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

दिनांक-07/09/18

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

55

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

F.V.